



REET 2025

LEVEL-2



वंदन बैच

POLITY

राष्ट्रपति **President**

Part -3



LIVE

15-01-2024 07:00 PM

राष्ट्रपति की शक्तियां

① कार्यकारी शक्तियां

* अनु. 52 → संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी हैं।

राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।

- * भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति → अनु. 76
- * निचंगरु एवं महालेखा परिक्षक की नियुक्ति → अनु 148
- * राज्यपाल की नियुक्ति → अनु. 155
- * सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीशों की नियुक्ति → अनु. 124
- * उच्च न्यायलय के न्यायधीशों की नियुक्ति → अनु 217
- * निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति - अनु. 324
- * संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य → अनु 316

* SC/ST/05C आयोग, के अहयज्ञ व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

* भारत की सभी सदस्यी विश्व विद्यालय के कर्मचारी की नियुक्ति

* राज्य / उच्चायुक्त की नियुक्ति

② विधायी शक्तियाँ

→ अनु. 79 → संसद की संरचना

→ संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है।

→ राष्ट्रपति संसद से सत्र को आहूत व समावसान करता है (अनु. 85)

↳ बुलाना

↳ समाप्त करना

जनवरी

जून

Oct.

- सत्रावकाश

→ बजट सत्र → Feb - May

→ मानसून सत्र → July - Sept

→ शीतकालिन सत्र → Nov. - Dec.

* संसद के दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए

* अनु. 86 → राष्ट्रपति संसद को सत्र में जेक है।

* अनु. 87 → राष्ट्रपति संसद में अभिप्राय देता है।

→ संयुक्त बैठक

→ नयी लोकसभा की पहली बैठक व उत्प्रेरक लग्न की पहली बैठक

अनु. 108 → राष्ट्रपति संयुक्त बैंक को आह्वान करना है

→ अवधान → रूपीकरण

↓
डिप्टी रूपीकरण

↓
राष्ट्रपति का उपसभापति

भारत में अब-तक तीन बार संयुक्त बैंक हुई है।

① 1961 → हीन निरोध Act.

② 1978 → बैंकिंग Act.

③ 2002 → आतंकवादी निरोधक Act.

→ अदालत बिहारी वाजपेयी
तीन संयुक्त बैंकों में
भाग लेने वाले पकड़ा
गए हैं।

संसदीय अधीनस्थ का निर्धारण